रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3 1992/कार्तिक 12, 1914
No. 436] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 1992/PAUSA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1992

सा.का.नि. 845(अ) : केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तूतुक्कुडि पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची मे तूतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) पहला संशोधन विनियम 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

[सं. पी आर-12016/9 पी ई-I]
अशोक जोशी, सयुक्त सचिव

तूतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) पहला संशोधन विनियम, 1992

महा पत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूतुक्कुडि पत्तन के न्यासी गण उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा 1 के अंदर अपेक्षितानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ, भारत सरकार के राजपत्र असाधारण दिनांक 16-3-1979 सा.का.नि. 232(ङ) में प्रकाशित तूतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम 1979 को आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) ये विनियम तूतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) पहला संशोधन विनियम 1992 कहे जाएंगे।

(2) उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :—

तूतुकुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1979 के विनियम 2 में, जो इसके बाद उक्त विनियम कहा जायेगा, उप विनियम (ज) को हटा दिया जाना चाहिये और उप विनियम (झ) से (ठ) को (ज) से (ट) जैसे क्रमानुसार पुनःअंकन किया जाये।

3. किन्हें लागू होगा :

(क) उक्त विनियम के विनियम 3 के उप विनियम (2) में निम्नलिखित को खण्ड (3) के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिये :—

"(3) छुट्टी यात्रा रियायत के किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के लिये योग्य"।

(ख) उक्त विनियम के विनियम 3 के उप विनियम (3) में स्पष्टीकरण को (1) के रूप में अंकन करना है और निम्नलिखित को स्पष्टीकरण (2) के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिये । "हड़ताल आदि में भाग लेने के कारण हुई अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को, सेवा में भंग के रूप में समझना चाहिये जब तक कि लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि का परिकलन करते वक्त, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अवधि की माफी नहीं की गयी हो।"

4. दो वर्षों और चार वर्षों के ब्लाकों के लिये रियायत :

(क) उक्त विनियम के विनियम 7 के उप विनियम (1) के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये :—

"1978 से प्रारंभ होने वाले, दो कलैण्डर वर्षों के के ब्लाक में, एक बार हर कर्मचारी और उसके परिवार को रियायत का उपभोग करने का हक होगा । बोर्ड वास्तविक भाड़े का वहन करेगा। प्रत्येक मामले में यात्रा, मूल निवास स्थान तक और वहां से वापसी के लिये होनी चाहिये और दावा बाहर और वापसी दो यात्राओं के लिये होना चाहिये। कर्मचारी के खुद अपने मामले में या उसके परिवार के मामले में की जाने वाली यात्रा, आवश्यक रूप से उसके मुख्यालय से प्रारंभ होकर या वहीं पर समाप्त होने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अनुज्ञेय सहायता, यात्रा की गयी वास्तविक दूरी के लिये अनुज्ञेय रकम होगी और वह उस रकम तक सीमित होगी, जो उस समय अनुज्ञप्त होगी यदि यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय और मूल निवास स्थान या घोषित गंतव्य स्थान के बीच की गयी होगी।"

टिप्पणी (1)—जहां कर्मचारी और उसके परिवार, किसी कारण, कार्य स्थान से दूर रहते हैं, रियायत, आवास स्थान से दर्शन क्षेत्र/मूल निवास स्थान तक और वापस रहने का क्षेत्र तक दी जाये बशर्ते कि दावा कार्य स्थान और मूल निवास स्थान या घोषित दर्शन क्षेत्र, जो भी हो, के बीच सबसे छोटे मार्ग से रेल भाड़ा तक सीमित की गयी हो। इस तरह के मामलों में, कर्मचारी को, कार्य स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर निवास करने का कारण प्रस्तुत करना होगा और आवास स्थान के संदर्भ की गयी दावा को स्वीकार करने के पहले, नियंत्रण प्राधिकारी, खुद अपने को उक्त कारण की यथार्थता से संतुष्ट करना होगा।

टिप्पणी (2) —निलंबन के अधीन रहे कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायात का लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि निलंबन के अधीन रहते वक्त वह आकस्मिक छुट्टी को मिलाकर किसी प्रकार की छुट्टी के हकदार नहीं होगा जैसा कि वह निलंबन अवधि के अंदर भी सेवा के अधीन ही रहने लगता है, उसके परिवार के सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

(ख) विनियम 7 के उप विनियम (ii) में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

टिप्पणी (1) : ऐसे मामलों में, कर्मचारी और उसके परिवार, भारत में किसी स्थान जाने के लिये छुट्टी यात्रा रियायत का हक खो जाएंगे ।

टिप्पणी (2) : अविवाहित कर्मचारियों को, जिन्होंने पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई को, उनके अपने मूल निवास स्थान पर छोड़ दिया हैं, हर साल मूल निवास स्थान जाने के लिये छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा दी जाये। यह रियायत, खुद कर्मचारी को और उपरोक्त बताये गये माता-पिता, बहन और नाबालिग भाइयों को प्रदान की जाने वाली सभी अन्य छुट्टी यात्रा रियायत के बदले में दी जायेगी।

(ग) विनियम 7 में उप विनियम (4) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

"वर्ष 1978 से प्रारंभ होने वाले चार कलैंडर वर्षों के एक ब्लाक में, चार कलैंडर वर्षों के ब्लाक में मूल निवास स्थान जाने के लिये उपलब्ध दो रियायतों में से एक के बदले, मूल निवास स्थान को मिलाकर भारत में किसी स्थान की यात्रा करने के लिये रियायत पाने का हकदार होंगे और यह रियायत विद्यमान स्कीम में अधिकथित सभी अन्य शर्तों के अधीन होगी । चार वर्षों का ब्लाक वर्ष 1978 से शुरू होता है । उदाहरणार्थ 1978—81, 1982—85 और ऐसे ही। यदि चार वर्षों के किसी ब्लाक के दौरान भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिये रियायत का उपभोग नहीं किया गया है तो,

उसे अगले चार वर्ष के ब्लाक के प्रथम वर्ष तक अग्रनीत किया जा सकेगा। फिर भी कर्मचारी, भारत में किसी स्थान जाने के लिये छुट्टी यात्रा रियायत को अगले ब्लाक के पहले वर्ष तक तब अग्रनीत कर सकेगा, जब कि वह उस प्रत्येक वर्ष में मूल निवास स्थान जाने के लिये छुट्टी यात्रा रियायत को अग्रनीत करने का हकदार होगा।

उदाहरण 1 : वर्ष 1990-93 के ब्लाक वर्ष के दौरान कर्मचारी दो रियायत के लिये हकदार होगा कि एक 1990-91 ब्लाक के लिये दूसरा 1992-93 ब्लाक के लिये उपरोक्त दो रियायतों के लिये वह निम्न-प्रकार हकदार होगा।

(1) दोनों मूल निवास स्थान के लिये, या

(2) पहला ब्लाक भारत के किसी स्थान के लिये और दूसरा ब्लाक मूल निवास स्थान के लिये, या

(3) पहला ब्लाक मूल निवास स्थान के लिये और दूसरा ब्लाक भारत में किसी स्थान के लिये।

भारत में किसी स्थान के लिये यात्रा रियायत को, 1994 को, अग्रनीत इस मामले में ही किया जा सकता है :—

(1) अगर उसने ब्लाक 1990-91 के आगे, रियायत का लाभ नहीं उठाया हो।

(2) अगर उसने ब्लाक 1992-93 के लिये मूल निवास स्थान के लिये रियायत का लाभ नहीं उठाया हो।

अगर कर्मचारी ब्लाक 1990-91 को नियत रियायत का लाभ उठाने में असफल हो जायेगा तो (रियायत की अवधि खत्म होने के पहले), वह उक्त रियायत को खो जायेगा और उसे वर्ष 1994 तक अग्रनीत नहीं कर सकेगा।

इसे और स्पष्ट रूप से बताने के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है।

उदाहरण 2 : उपरोक्त कर्मचारी ब्लाक 1990-91 और 1992-93 के दौरान दो रियायतों के लिये हकदार

(1) वर्ष 1990-91 के संदर्भ में, रियायत की अवधि कि 31-12-1992 पूरा होने के पहले मूल निवास स्थान के लिये रियायत का लाभ उठायेगा। फिर वह भारत में किसी स्थान जाने के लिये उनकी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के हक को रियायत की अवधि कि 31-12-1994 तक, जिसका उपभोग करना है, अग्रनीत कर सकेगा।

(2) उपर्युक्त मामले में, कर्मचारी अगर मूल निवास स्थान जाने की छुट्टी यात्रा रियायत को 31-12-1992 के बाद उपभोग करेगा, तो इसे ब्लाक 1992-93 के अंदर लिया जायेगा और वह "भारत में किसी स्थान जाने का छु. या .रि. का हकदार नहीं होगा। इस मामले में, रियायत की अवधि के अंदर रियायत का उपभोग नहीं करने के कारण से ब्लाक 1990-91 की रियायत के हक को खो जायेगा।

5. परिवार के लिये लागू रियायत :

(क) विनियम 8 के उप विनियम (2) में, खण्ड 2 के उप खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

"कोई शिशु जो पहले तीन/बारह वर्ष की आयु से नीचे था/थी, किन्तु वापसी यात्रा के समय तीन/बारह वर्ष पूरा कर लेता/लेती है।"

(ख) उक्त विनियम के उप विनियम (3) में निम्नलिखित जोड़ा जाये ;

"यह शर्त अब ही लागू किया है, जब कि कर्मचारी के साथ केवल पति या पत्नी निवास करता/करती है। अगर किसी कारण, वे अलग अलग निवास कर रहे हैं तो वे रियायत के दावा के वैयक्तिक रूप से दो प्रत्येक कर्मचारियों के रूप में उनके अपने पृथक दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।"

6. दावे की संगणना :

(क) विनियम 10 में उप विनियम (1) और साथ में उसके अधीन की टिप्पणी हटा दी जानी चाहिये और उप विनियम (2) व (3) को (1) और (2) के रूप में क्रमानुसार पुनःअंकन किया जाना चाहिये।

(ख) (1) विनियम 10 में उप विनियम (4) को उप विनियम (3) के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये और खंड (1) के अधीन के पहले वाक्य में आने वाले शब्द "प्रारंभिक दूर से आगे" को—हटा दिया जाना चाहिये।

(2) खंड (2) के उप खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

"यदि यात्रा या उसका कोई भाग सड़क द्वारा की गयी हो तो, बोर्ड की सहायता प्राधिकृत श्रेणी द्वारा रेल भाड़े के आधार पर या वास्तविक व्यय के आधार पर जो भी कम हो, होगी।"

टिप्पणी : सड़क द्वारा की गयी यात्रा तब ही अनुज्ञेय होगी जब कि यात्रा सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम,

राज्य परिवहन निगम, अन्य सरकार द्वारा परिचालित परिवहन सेवाओं या परिवहन प्राधिकारियों के अनुमोदन से नियत दरों पर नियमित अंतरावधि से पाइंट से पाइंट तक नियमित परिवहन सेवा के रूप में स्थानीय निकायों द्वारा परिचालित वाहनों में, की गयी हो। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/राज्य सरकार के अनुमोदन से नियत दरों पर, नियमित अंतरावधि से पाइंट से पाइंट तक नियमित परिवहन सेवा के रूप में परिचालित प्राइवेट बस से की गयी यात्रा भी अनुज्ञेय होगी। प्राइवेट कार (स्वयं का हो, किसी से ली गयी हो, या भाड़े पर ली गयी हो) या बस या रेल गाड़ी या वैन या प्राइवेट प्रचालकों की या उनके द्वारा किराये पर प्रचालित अन्य वाहनों में की गयी यात्रा अनुज्ञेय नहीं होगी। कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य इस तरह की यात्रा का भी उपभोग कर सकेंगे जो ऐ.टी.डी.सी./राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्ण रूप से उनके अपनी बस या बाहर से किराये पर ली गयी बस से परिचालित और चलायी गयी हो। लेकिन ऐ.टी.डी.सी./राज्य परिवहन विकास निगम, द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि इस तरह की यात्रा खुद उनके द्वारा परिचालित और चलायी गयी थी न कि किसी अन्य प्राइवेट पार्टी या व्यक्ति द्वारा।

(3) खंड (2) के उप खंड (ख) को हटा दिया जाना चाहिये।

(ग) विनियम 10 में :—

(1) उप विनियम (5) को उप विनियम (4) के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये और खंड (1) के उप खंड (क) के अंदर की टिप्पणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जानी चाहिये।

टिप्पणी : समुचित श्रेणी से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) रेल गाड़ी पर श्रेणी 1 में यात्रा करने के लिए हकदार अधिकारी	सूपर डीलक्स एक्सप्रैस आदि को मिला कर किसी प्रकार के बस द्वारा लेकिन एयर कंडिशन्ड डीलक्स बस को छोड़कर।
(2) अन्य अधिकारी :	आर्डिनरी/एक्सप्रैस बस द्वारा।

(2) खंड (i) के उप खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

"(ख) जहां मान्यता प्राप्त पब्लिक परिवहन प्रणाली नहीं है, स्थानान्तरण पर की गयी यात्रा के मामले में की गयी अनुसार, बोर्ड की सहायता विनियमित की जानी चाहिये।"

(3) खंड (2) में दूसरा वाक्य—"ऐसे मामलों में बोर्ड लागत का वही अनुपात वहन करेगा जैसा कि रेल यात्राओं के मामले में होता है"—को हटा दिया जाना चाहिये।

(4) खंड (2) के बाद निम्नलिखित को खंड (3) और खंड (4) के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिये।

"(3) नौवहन सेवा से जुड़े हुए भारत के प्रदेशों के मामले में, कर्मचारी द्वारा जहाज में करने का हक, स्थानान्तरण पर जहाज में की गयी यात्रा के मामले में किये गये अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(4) किसी परिवहन माध्यम से न जुड़े हुए दो स्थानों के बीच की जाने वाली यात्रा के लिये, कर्मचारी बाबू, हाथी, ऊंट आदि जैसे जानवर परिवहन का उपभोग कर सकेगा। इस तरह के मामलों में मील दूरी भत्ता, स्थानान्तरण पर की गयी यात्रा में दी जाने वाली दर के जैसे अनुज्ञेय होगी।"

(घ) विनियम 10 में उप विनियम (6) को उप विनियम (5) के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

"(5) किसी कर्मचारी के या उसके परिवार के सदस्यों की छुट्टी यात्रा रियायतों के साथ प्राधिकारियों द्वारा दिये गये रियायती यात्रा टिकटों का उपभोग करने पर कोई आक्षेप नहीं है। ऐसे रियायती टिकट का उपभोग करते समय उस श्रेणी से जिसके लिये वह हकदार है ऊंची या नीची किसी श्रेणी में यात्रा करना भी अनुज्ञेय होगा और नीचे की टिप्पणी के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए।

टिप्पणी : ऐसे मामलों में भी, कर्मचारी सबसे छोटे मार्ग द्वारा वास्तव में प्रयुक्त हकदार निचली श्रेणी के लिये भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिये हकदार होना चाहिये। इस योजना के अंदर भारत के किसी स्थान जाने के लिये, अगर कर्मचारी परिक्रमा यात्रा टिकट खरीदकर यात्रा करता है तो, उनका दावा, मुख्यालय और घोषित दर्शित करने का स्थान/मूल निवास स्थान के बीच, सबसे छोटा सीधा मार्ग पर, उस श्रेणी के लिये, जिसके लिये वास्तव में टिकट खरीदा गया था या हकदार श्रेणी के के लिये विनियम किया जायेगा।

(ङ) विनियम 10 में उप विनियम (7) को उप विनियिम (6) के रूप में पुनः अंकन किया जाना चाहिये और उसके अधीन के खंड (2) को हटा दिया जाना चाहिये।

(च) विनियम 10 में उप विनियम (8) को हटा दिया जाना चाहिये और वर्तमान उप विनियम (9) को (7) के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये।

(7) वास श्रेणी :

(क) विनियम 11 के उप विनियम (2) के दूसरे वाक्य में आने वाले "प्रारंभिक दूरी के आगे के भाग के लिये"—और अंत में आने वाले शब्दों—"यात्रा के उप भाग के लिये"—जैसे शब्दों को हटा दिया जाना चाहिये ।

(ख) विनियम 11 में उप विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये ।

"(6) कर्मचारी निम्नतर या उच्चतर श्रेणी में यात्रा कर सकता है । किन्तु बोर्ड की सहायता हकदार और निम्नतर श्रेणी के भाड़े तक ही जितना वास्तव में उपयोग किया गया है सीमित होगी।"

(ग) विनियम 11 में उप विनियम (6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये ।

"रेल द्वारा यात्रा :—छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन रेल गाड़ी पर यात्रा करने के लिये विविध वास की श्रेणी का हकदार ग्रेड निम्नानुसार होगा :—

3.	ग्रेड 1 व 2	—दूसरी श्रेणी वातानुकूल/दो टियर स्लीपर/पहली श्रेणी ।
2.	ग्रेड 3	—पहली श्रेणी/वातानुकूल चेयर कार
3.	ग्रेड 4	—2 श्रेणी स्लीपर

टिप्पणी :—हर ग्रेड के वेतन की मात्रा समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्णय किये गये अनुसार होगी।

(घ) विनियम 2 में उप विनियम (7), (8) और (9) को हटा दिया जाना चाहिये और उप विनियम (10) को (7) के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये और वर्तमान उप विनियम (10) के अंत में आने वाले शब्दों—

"या प्रारंभिक दूरी के लिये अनुपातिक भाड़े की कटौती करने के पश्चात् वास्तविक संदत्त भाड़ा जो भी कम हो," को हटा दिया जाना चाहिये ।

8. स्थानान्तरण पर दौरे के साथ छुट्टी यात्रा रियायत का समुच्चय :

विनियम 12 के उप विनियम (1) की तीसरे लाइन में आने वाला सूत्र—(भ + म)—(य + 800)"—आंकड़ा—"800" को हटा दिया जाना चाहिये ।

9. विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये :—

"13. दावा का अपवर्तन : जहां कर्मचारी द्वारा अग्रिम राशि नहीं ली गयी है, वापसी यात्रा पूरा करने के दिनांक से लेकर तीन महीने की अवधि के अंदर, उक्त राशि का दावा नहीं किया गया है तो, कर्मचारी के छुट्टी यात्रा रियायत दावा की प्रतिपूर्ति का अधिकार अपवर्तन हो जाता है या दावा का त्यागन दिया गया है ऐसा समझा जाता है ।

अगर अग्रिम राशि ली गयी है तो, वापसी यात्रा पूरा होने के दिन से लेकर एक महीने की अवधि के अंदर अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिये, अगर नही किया गया है तो, कर्मचारी को, उक्त अग्रिम राशि की एक मुश्त में वापस करना पड़ेगा। अग्रिम राशि को किस्तों में वापस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अग्रिम प्राप्त करने के दिन से लेकर बकाया उक्त अग्रिम राशि की वापसी होने तक, पूर्ण या अंश बकाया राशि पर 10% का सामान्य ब्याज लगाया जायेगा।

10. अग्रिम का अनुदान :

(क) विनियम 14 में, उप विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये :

"(1) अग्रिमो का अनुदान, कर्मचारियों को, उन्हें रियायतों को, अपने लिये उपभोग करने में समर्थ बनाने के लिये किया जाना है। ऐसी अग्रिम की रकम प्रत्येक मामले में उस आकलित रकम की 90% अंश तक सीमित होगी जिसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड को दोनों ओर की यात्राओं की लागत की बाबत करनी हो ।

(ख) विनियम 14 में, उप विनियम (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये :—

"(8) यदि बाहर की यात्रा अग्रिम धन के अनुदान के तीस दिनों के भीतर प्रारंभ नहीं की जाती है तो पूरा अग्रिम वापस कर दिया जाना चाहिये। रेल द्वारा यात्रा करने के संबंध में, प्रस्तावित बाहर की यात्रा शुरू करने के 60 दिन के पहले ही अग्रिम राशि प्राप्त की जा सकती है । सभी मामलों में, अग्रिम राशि प्राप्त करने के दिन से दस दिन की अवधि के अंदर कर्मचारी को रेल या बस टिकट/नकद रसीद की प्रस्तुत करना होगा।"

1. निम्नलिखित को विनियम 15 के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये :—

"15. औषधिक छुट्टी यात्रा रियायत का दावा :—अग्रिम की मंजूरी के लिये निर्धारित की गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, या छुट्टी यात्रा रियायत के लिये दी गयी अग्रिम के संबंध में नियमों का उल्लंघन किया गया है तो, विभाग के अध्यक्ष, 2-1/2% की दर पर दण्डनीय ब्याज लगाने का अधिकार रखेंगे ।

(ii) "(i) जब कभी छुट्टी यात्रा रियायत का औपधिक दावा का मामला, अनुशासनिक अधिकारी की जानकारी तक आकर, अगर अनुशासनिक अधिकारी इस निर्णय तक पहुंचेंगे कि इस अवचार के कारण कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही लेने के लिये मामला प्रत्यक्षत है, तो, छुट्टी यात्रा रियायत के लिये किया गया दावा निलंबित रखा जायेगा और कार्यवाही खत्म हो जाने तक कर्मचारी को आगे इस तरह की सुविधा की अनुमति नही दी जायेगी ।

(iii) अगर कर्मचारी, छुट्टी यात्रा रियायत के दुरुपयोग की अभियुक्तियों से पूर्ण रूप से दोषमुक्त है तो उसे, पहले रोक रखी गयी छुट्टी यात्रा रियायतो को, आगे के वर्षों के ब्लाकों में प्रतिरिक्त "सैट" के रूप में उपभोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन उसके सेवा निवृत होने के निर्धारित दिनांक के पहले ।

(iv) अगर कर्मचारी, छुट्टी यात्रा रियायत के दुरुपयोग की अभियुक्तियो से पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं है तो, उसे अनुशासनिक कार्यवाही की विचार-धीनता के दौरान पहले ही रोक रखी गयी छुट्टी यात्रा रियायत सैटो के अलावा अगले दो सैटों की छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा की अनुमति भी नही दी जानी चाहिये । अगर किया गया दुरुपयोग गंभीर का हो तो, सक्षम प्राधिकारी से दो सैट से भी अधिक छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी । इस तरह की अस्वीकृति, अनुशासनिक कार्यवाही में साबित किये गये अवचार के खंड के पूर्वाग्रह के बाहर होगी।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम के प्रयोजन के लिये मूल निवास स्थान के लिये छुट्टी यात्रा रियायत और भारत मे किसी स्थान के लिये छुट्टी यात्रा रियायत दोनो मिलाकर छुट्टी यात्रा रियायत के दो सैट होंगे ।

12(6) छुट्टी की प्रकृति :

विनियम 15 को, विनियम 16 के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये और उप विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये ।

"1. रियायत, कर्मचारी द्वारा नियमित छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी या अवकाश के दौरान, उनकी अवधि पर ध्यान न देते हुए कर्मचारी द्वारा की गयी यात्राओं के लिये अनुज्ञेय होगी । यह रियायत, प्रसूति छुट्टी और सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान मंजूर की जायेगी परन्तु यह तब कि वापसी यात्रा, सेवा निवृत्ति पूर्व की छुट्टी के अवसान के पूर्व समाप्त हो जाए । यह रियायत कर्मचारी को, अध्ययन छुट्टी के दौरान भी दी जायेगी, परन्तु दावा निम्नानुसार विनियमित किया जाए :—

(क) खुद के लिए :—कर्मचारी अध्ययन करने के स्थान से भारत के किसी स्थान/मूल निवास स्थान के लिये छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग कर सकेगा बशर्ते कि किराये की प्रतिपूर्ति उसके मुख्यालय से भारत के किसी स्थान/स्वनगर के बीच की यात्रा के लिए अनुज्ञेय किराया या जो भी कम हो तक सीमित कर दी गयी हो ।

(ख) परिवार के सदस्यों के लिए :—अध्ययन करने के स्थान पर, कर्मचारियों के साथ अगर उसके परिवार के सदस्य भी रहते हैं तो प्रतिपूर्ति ऊपर (क) में सूचितानसार होगी। जब अध्ययन करने के स्थान पर नहीं रहते है तो प्रतिपूर्ति छुट्टी यात्रा रियायत योजना की सामान्य शर्तों के अनुसार दी जायेगी।

टिप्पणी : छुट्टी पर जाने के बाद ड्यूटी पर वापस आये बिना उनके अपने पद के लिये इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को यह रियायत अनुज्ञेय नहीं होगी।"

13. विनियम 16, 17 और 18 को 17, 18 और 19 के रूप में पुनःअंकन किया जाना चाहिये ।

14. अनिवार्य साक्ष्य :

विनियम 19 को विनियम 20 के रूप में पुनः अंकन करके निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

(20) अनिवार्य साक्ष्य :(1) कर्मचारी उस यात्रा को, करने पूर्व, जिसके लिये इन विनियमों के अधीन कोई सहायता ली जानी है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देगी। वह ऐसा साक्ष्य भी पेश करेगा कि उसने वास्तव में यात्रा की है, उदाहरणार्थ रेलवे टिकटों की क्रम संख्याएं, नकद रसीद आदि ।

(2) नकद रसीदों के अभाव में यात्रा की यथार्थता के संबंध में जहां तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का समाधान का संबंध है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कर्मचारी द्वारा उनके अपने दावों के समर्थन में वास्तविक रूप से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर करके दावा का सत्यापन करके खुद समाधान हो जाएंगे । कर्मचारी अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की यथार्थता पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को शक करने का कोई कारण हो तो, वे, कर्मचारी को ऐसे अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये, पूछेंगे, जिससे दावा का समर्थन हो जाए । फिर भी अध्यक्ष/

उपाध्यक्ष दावे की यथार्थता से समाधान नहीं है तो, वे दावे को अस्वीकार करने का अधिकार रखेंगे ।

(3) कर्मचारी को, फिर वाप श्रेणी/यात्रा के माध्यम से यात्रा किया है, के बारे में प्रमाणित करना होगा, जिसके लिये दावा प्रस्तुत किया गया है। किसी विशेष मामले में, उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र गलत साबित किया गया है तो, कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही ली जा सकती है। दावे की यथार्थता के संबंध में अपने आपको समाधान करने के लिये, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की ओर से आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण रूप से दावे की जांच पड़ताल की जा सकती है। अगर दावा गलत साबित किया गया है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही ली जा सकती है।

(4) छोटी बातों की शिथिलीकरण कि कम संख्याओं को नहीं पेश करना, इन विनियमों के अधीन कर्मचारी या उनके परिवार या दोनों द्वारा यात्राएं किये जाने के पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पूर्व सूचना देने की बाबत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकेगी। यदि दावे सही हों और यात्रा के लिये जाने की सद्भाविकता की बाबत उसका अन्यथा समाधान हो जाये। अध्यक्ष द्वारा स्वयं ऐसी छूट शुद्धतः गुणागुण के आधार पर वास्तव में उचित मामलों में न कि साधारण नियमों के रूप में दिये जाने पर कोई आक्षेप नहीं होगा।

(5) जब कभी, सबसे छोटा मार्ग, जिस पर यात्रा की जानी है, दुर्घटना, अन्य कारणों के कारण भंग हुआ है तो तब अध्यक्ष वास्तविक मार्ग पर की गयी यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति करने का अधिकार रखेगा ।

15. विनियम 20 को विनियम 21 के रूप में पुनः अंकन किया जाना चाहिये ।

16. निम्नलिखित को विनियम 22 के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिये ।

"22. उपबन्धों का समर्थन. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गये मूल उपबन्धों के आशोधनों को, विनियम के औपचारिक संशोधन होने तक, बोर्ड द्वारा उचित संकल्प पारित कराके कार्यान्वित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, और निर्णय बोर्ड के संकल्प द्वारा संबंधित मुख्य विनियमों के अंदर समाविष्ट किये जा सकते हैं।

टिप्पणी : प्रधान विनियम जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 232(ङ) दिनांक 16-3-1979 में प्रकाशित किये गये थे।

प्रशासनिक कार्यालय भवन,
भारती नगर,
तूतुक्कुडि-628 004

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1992

G S.R. 845(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Employees (Leave Travel Concession) First Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Tuticorin and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12016/9/92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

TUTICORIN PORT EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION)

FIRST AMENDMENT REGULATIONS, 1992

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Tuticorin Port with the approval of the Central Government as required under sub-section (1) of Section 124 or the said Act, hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1979 published at GSR-232(E) of Gazette of India, Extraordinary, dated 16-3-1979,

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Employees (Leave Travel Concession) First Amendment Regulations, 1992.

(ii) These Regulations shall come into forces on the date of publication of this notification in the Official Gazette of India.

2. Definition :

In Regulation 2 of the Tuticorin Port Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1979, hereinafter referred to as said Regulations, the sub-regulation (h) shall be deleted and the sub-regulations (i) to (l) be renumbered as (h) to (k) correspondingly.

3. Extend of application :

(a) In Sub-regulation (2) of Regulation 3 of the said Regulations, the following shall be added as clause (iii) :—

"(iii) eligible for any other form of leave travel concession".

(b) In sub-regulation (3) of Regulation 3 of the said Regulations, the Explanation is to be numbered as (1) and the following shall be added as explanation (2). "A period of unauthorised absence, due to participation in strike, etc. shall be deemed to cause break in service unless condoned by the appointing authority while calculating the minimum period of continuous service".

4. Concession for two years' and four years' blocks :

(a) The following shall be substituted for the sub-regulation (i) of Regulation 7 of said Regulation :—

"Once in a block or two calendar years commencing from 1978, every employee and his family shall be entitled to avail the concession. The Board shall meet the actual fares. In every case the journey should be to the home town and back and claim should be for both outward and return journeys. The journey need not necessarily commence from or end at the head quarters of an employee either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between the head quarters and the home of the employee or declared destination.

Note (i) : Where an employee and his family live away from the place of duty for any reason, the concession may be allowed from the place of residence to the place of visit/home town and back to the place of residence, subject to the conditions that the claim is restricted to the rail fare by the shortest direct route between the duty station and the home town or declared place of visit as the case may be. In such cases, the employee should furnish the reasons for residing at a place other than the place of duty and the controlling authority should also satisfy itself regarding the genuineness of these reasons before admitting the claim with reference to the place of residence.

Note (ii) : An employee under suspension cannot avail of leave travel concession as he cannot get any leave including casual leave while under suspension. As he continues to be in service during the period of suspension members of his family are entitled to leave travel concession.

(b) In Regulation 7, in sub-regulation (ii), the following shall be added—

Note (i) : In such cases he and his family will lose the right of Leave Travel Concession to anywhere in India.

Note (ii) : Unmarried employees who have left their wholly dependent parents, sisters and minor brothers at their home town may be given the benefit of Leave Travel Concession to home town every year. This concession will be in lieu of all other leave travel concession facilities admissible to the employee himself and the aforesaid parents, sisters and minor brothers.

(c) In Regulation 7, the sub-regulation (iv) shall be substituted as follows :—

"Once in a block of four calendar years commencing from the year 1978, in lieu of one of the two concessions to home town available in a block of four calendar years every employee and his family shall be entitled to avail of the concession for journey to any place in India including home town subject to all other conditions laid down in the existing scheme. The four year block commences from 1978 viz 1978—81, 1982—85 and so on. The concession for travelling to any place in India if not utilised, during block of four years could be carried forward to the first year of the next block of four years. However, an employee can carry forward the concession to travel anywhere in India to the first year of the next block only if he is entitled to carry forward leave travel concession to home town for that year."

Example I : During the block years of 1990-93, an employee can avail two concessions, i.e. one for 1990-91 block and second for 1992-93 block. Of the above two concessions, he can avail :—

(i) both of them to home town, or

(ii) first block to anywhere in India and the second block to home town, or

(iii) first block to home town and second to anywhere in India.

The concession to travel to anywhere in India can be carried forward to 1994 in this case only :—

(i) If he has not availed it against the concession for the block 1990-91; and

(ii) If he has not availed the concession to home town for the block 1992-93.

If the official has failed to avail the concession due for the block 1990-91 (before the expiry of the grace period) he is losing that concession and cannot carry it forward to 1994.

To make it more illustrative, the following example is also given.

Example II : The above official is entitled to two concessions during the blocks of 1990-91 and 1992-93.

(i) In respect of 1990-91, he avails the concession to home town before the grace period, i.e. by 31-12-1992 Then he is entitled to carry forward his leave travel concession to anywhere in India to be availed before the grace period i.e. by 31-12-1994.

(ii) In the above case, suppose the official avails of leave travel concession to home town after 31-12-1992 This will be debited against the block 1992-93 and hence he will not be entitled to 'anywhere in India LTC' In this case he will lose his entitlement for 1990-91 by not availing it before the grace period

5 Concession Applicable to Family .

(a) In sub-regulation (2) of Regulation 8 the sub clause (iii) of clause II shall be substituted as follows

"A child who was previously three|twelve years of age but has completed three|twelve years of age at the time of return journey"

(b) In sub-regulation (3) of said Regulation the following shall be added

"This condition is applied only when the wife or husband is residing with the employee If for any reason they are residing separately they can claim the concession independently as two separate employees according to his|her own entitlements"

6. Calculation of Claim .

(a) In Regulation 10, sub-regulation (1) alongwith the notes thereunder shall be deleted and the sub-regulations (2) & (3) shall be re-numbered as (1) and (2) correspondingly.

(b) (i) In Regulation 10, the sub-regulation (4) shall be renumbered as sub-regulation (3) and the words—"beyond the initial distance"—occurring in the first sentence of clause (i) thereunder shall be deleted.

(ii) The sub-clause (a) of clause (ii) shall be substituted as follows :—

"If the journey or a part thereof is made by road, Board's assistance shall be on the basis of the railway fare by the authorised class or on the basis of the actual expenses whichever is less"

NOTE : The journey performed by road will be admissible only if the journeys were performed in the vehicles operated by Tourism Development Corporations in Public Sector, State Transport Corporations and Transport services run by other Government or local bodies operating as regular transport service from point to point at regular intervals at fixed fare rates with the approval of transport authorities Travel by private buses operating as regular service from point to point at regular intervals on fixed fare rates, with the approval of Regional Transport Authority|State Government concerned will also be admissible Leave Travel Concession shall not be admissible for journey by a Private Car (Owned, borrowed, or hired) or a bus or a train or van or other vehicle owned or operated on charter by private operators An employee or his family members may avail themselves of tours which are wholly operated and conducted by the I T D C |State Tourism Development Corporations either by their own buses or buses taken on hire from outside But it should be clearly certified by the I T D C |State Tourism Development Corporation that such tours are actually conducted| operated by them, and not by any private party| person

(iii) the sub-clause (b) of clause (ii) shall be deleted.

(c) In Regulation 10 .—

(i) the sub-regulation (5) shall be renumbered as sub-regulation (4) and the Note below sub clause (a) of clause (i) thereunder shall be substituted as follows :—

NOTE Appropriate class means as follows : —

(i)	Officers entitled to travel by I Class on rail	By any type of bus including super deluxe express etc but excluding air conditional deluxe bus.
(ii)	Other officers	By ordinary|express bus

(ii) The sub-clause (b) of clause (i) shall be substituted as follows :—

"(b) where the recognised public transport system does not exist, the Board's assistance shall be regulated as in the case of journeys undertaken on transfer."

(iii) In clause (ii), the second sentence—"In such cases the Board shall bear the same proportion of cost as in the case of rail journey."—shall be deleted.

(iv) After clause (ii), the following shall be inserted as clause (iii) and clause (iv).

"(iii) In regard to places in territory of India connected by shipping services, the entitlement of an employee to travel by ship will be regulated as in the case of journeys by ship undertaken on transfer.

(iv) For travel between places not connected by any other means of transport,

an employee can avail of animal transport like pony, elephant, camel, etc. In such cases, mileage allowance will be admissible at the same rate as for journeys on transfer."

(d) In Regulation 10, the sub-regulation (6) shall be renumbered as sub-regulation (5) and the following be substituted :—

"(5) There is no objection to an employee or his family members availing themselves of concessional circular tour tickets offered by the authorities in conjunction with the leave travel concession. It shall also be permissible while utilising such a concessional ticket, to travel in any class higher or lower than the entitled one and the reimbursement allowed as per note hereunder.

NOTE : In such cases also employee shall be entitled to reimbursement of the fare for the entitled| lower class actually used by the shortest route. Under the scheme to visit any place in India, if an employee performs the journey by purchasing a circular tour ticket, his claim will be regulated as between the headquarters and the declared place of visit|Home Town by the shortest direct route by the class of accommodation for which the ticket was actually purchased or entitled class whichever is less.

(e) In Regulation 10, the sub-regulation (7) shall be renumbered as sub-regulation (6) and the clause (ii) thereunder shall be deleted.

(f) In Regulation 10, the sub-regulation (8) shall be deleted and the existing sub-regulation (9) be renumebred as (7).

7. Class of Accommodation :

(a) In sub-regulation (2), of Regulation 11, the words—"for the portion beyond the initial distance" appearing in the second line and "for that portion of the journey" appearing at the end—shall be deleted.

(b) In regulation 11, the sub-regulation (4) shall be substituted as follows :—

"(4) An employee may travel in a lower or higher class, but the Board's assistance shall be limited to the fare of the accommodation of the entitled class and|or the lower class to the extent actually used."

(c) In Regulation 11, the sub-regulation (6) shall be substituted as follows :—

"Journey by rail.—For travel by train under leave travel concession entitlement of grade to different classes of accommodation shall be as under :—

1. Grade I & II.—Second class air conditioned two tier sleeper|first class.

2. Grade II.—First class|air condition Chair car.

3. Grade IV.—II class sleeper.

NOTE : The quantum of pay for each grade is as decided by the Board from time to time.

(d) In Regulation 11, the sub-regulations (7), (8) and (9) shall be deleted and the sub-regulation (10) be renumbered as (7) and in the existing sub-regulation (10), the words—

"or the actual fare paid minus proportionate fare for initial distance, whichever is less", occurring at the end shall be deleted.

8. Combination of Leave Travel Concession with Transfer on Tour :

In sub-regulation (1) of Regulation 12, the figure—'800'—occurring in the formula—'(x plus y)—(z plus 800)'—in the third line shall be omitted.

9. The Regulation 13 shall be substituted as follows :

"13. Forfeiture of claim.—Where no advance is drawn by the employee the right of an employee for reimbursement of leave travel concession claim stands forfeited or deemed to have been relinquished, if the claim is not preferred within three months of the date of completion of the return journey.

If an advance has been drawn the final bill should be preferred within one month of the completion of return journey. If that is not done, the employee will be required to refund the entire advance for that in one lumpsum. No request for recovery of the advance in instalments shall be entertained." Simple interest at 10% on the outstanding advances either in whole or in part thereof will be charged from the date of drawal of advance till the date of remittance.

10. Grant of Advances :

(a) In Regulation 14, the sub-regulation (1) shall be substituted as follows :—

"(1) Advances are granted to employees to enable them to avail themselves of the concession. The amount of such advance in each case will be limited to 90% of the estimated amount which Board would have to reimburse in respect of the cost of the journey both ways."

(b) In Regulation 14, the sub-regulation (8) shall be substituted as follows .

"(8) The advance shall be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. In case of journeys by rail, advance can be drawn sixty days before the proposed date of outward journey In all cases, the employee should produce railway or bus

tickets|cash recepits within ten days of drawal of the advance."

11. The following shall be inserted as regulation 15.

"15. Fraudulent claim of L.T.C.

If the conditions laid down in the sanction of advance are not complied with or if the rules for granted advances for leave travel concession have been violated, the Head of Department will have powers to charge penal interest at a rate of 2-1|2% above the rate of interest.

(ii) "(1) whenever a case of fraudulent claim of leave travel concession comes to notice and the competent disciplinary authority arrives at a conclusion that there is a prima-facie case for initiating disciplinary proceedings against the employee for this misconduct, the claim for the leave travel concession shall be with-held and the employee shall not be allowed further this facility till finalisation of the proceedings.

(iii) If the employee is fully exonerated of the charges of misuse of leave travel concesion, he will be allowed to avail of the leave travel concession with-held earlier as additional set(s) of the leave travel concession in future blocks of years but before his normal date of superannuation.

(iv) If the employee is not fully exonerated of the charges of misuse of the leave travel concesion he shall not be allowed the next two sets of leave travel concession in addition to the sets of leave travel concession already withhold during the pendency of the disciplinary proceedings. If the nature of the misuse is grave, the competent authority may disallow more than two sets of leave travel concession. Such disallowance shall be without prejudice to the punishment for any proved misconduct in the disciplinary proceedings.

Explanation : For the purpose of this regulation, leave travel concession to home town and leave travel concession to any place in India shall constitute two sets of the leave travel concession.

12. Nature of Leave :

Regulation 15, shall be renumbered as Regulation 16 and the sub-regulation (1) shall be substituted as follows.

"1. The concesion shall be admissible for journeys performed by the employees during regular leave or casual leave, special casual leave or vacation irrespective of their duration. This concession can be availed of during maternity leave and during leave preparatory to retirement provided the return journey is completed before the expiry of leave. This concession will also be admissible to the employees while on study leave but the claims are to be regulated as under :

(a) For self : An employee can avail leave travel concession from the place of study leave to any place in India|home town subject to the condition that the reimbursement of fare should be restricted to the fare admissible for travel between his headquarters station to any place in India| home town or actual expenditure, whichever is less.

(b) For the family members : When the family members are staying with the employees at the place of his study leave, the reimbursement will be as indicated at (a) above. When not staying at the place of study leave reimbursement will be as under the normal terms and conditions of the leave travel concession scheme.

Note: The concession is not admissible to an employee who proceeds on leave but resigns his post without returning to duty."

13. Regulations 16, 17 and 18 shall be renumbered as Regulations, 17, 18 and 19.

14. Obligatory Evidence :

The Regulation 19 shall be renumbered as Regulation 20 and be substituted as follows :

"(20) Obligatory evidence :—

(1) The employee shall inform the Chairman or Deputy chairman in writing before journeys for which assistance under these regulations is claimed, are undertaken. He shall also produce evidence of his having actually performed the journey, for exaple, serial numbers of railway ticketc, cash receipts, etc.

(2) As regards the satisfaction of the Chairman|Deputy Chairman regarding the genuineness of the claim in the absence of cash receipts, the Chairman|Deputy Chairman can satisfy himself by verifying the claim with reference to the evidence actually produced by the employee in support of his claim. If the Chairman|Deputy Chairman has any reason to doubt the genuineness of the evidence produced by the employee in support of his claim he can ask the employee to produce such other evidence, as may be considered necessary to substantiate his claim. If the Chairman|Deputy Chairman is still not satisfied about the genuineness of the claim, it is open to him to reject it.

(3) An employee has to certify about the journey having been performed by the class of accommodation|mode of conveyance for which the claim has been preferred. If his

certificate is found to be false in any particular case, the employee concerned can be proceeded against departmentally. A full probe can also be made wherever necessary by the Chairman|Deputy Chairman to satisfy himself about the genuineness of the claim. If the claim is found to be false, disciplinary action can be taken against the employee concerned.

(4) Relaxation in a minor nature, viz. in respect of non-production of serial number, failure to give prior intimation to the Chairman or Deputy Chairman before the journeys are undertaken, by the employee or their family or their family or both, change of declared place of visit during journey, during journey, under these regulations may journeys are undertaen, by the employee under these regulations may be made by the Chairman or Dtputy Chairtion being made by the Chairman himself purely on merits in really deserving cases and not as a general rule.

(5) Whenever the shortest route by which the journey is required to be performed is disrupted due to accidents or other cause, the power to grant reimbursement by the actual route travelled may be exercised by Chairman."

15. Regulation 20 shall be renumbered as Regulation 21.

16. The following shall be added as Regulation 22.

"22. Enabling provisions :—Modifications in the basic provisions issued in respect of Central Government servants may be implemented by the Board by passing appropriate resolution pending formal amendment to the regulations. Orders and decisions issued by Government from time to time in respect of Central Government employees could be incorporated under the relevant main regulations by a resolution of the Board, if necessary.

NOTE : Principal Regulations were published vide MOST notification No. G.S.R. No. 232 (E), dated 16-3-1979.

Administrative Officer Buildings,

Bharathi Nagar

TUTICORIN—628004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993